उत्तराखण्ड राज्य

कार्यालय–प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)

उत्तराखण्ड वन विभाग

निकट विकास भवन रूद्रपुर, कोषागार, रूद्रपुर, उत्तराखण्ड। फोन व फैक्स–05944 250060, Email-dfotaraicentral@rediffmail.com

पत्रांक 2242 / 12–1 रूद्रपुर, दिनांक 16/01/2025

सेवा में,

वन संरक्षक,
पश्चिमी वृत्त,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

विषयः– **जनपद–नैनीताल में तराई केन्द्रीय वन प्रभाग में केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधि योजना के अन्तर्गत वर्ष 1980 से पूर्व से निर्मित गदरपुर–दिनेशपुर– मदकोटा हल्द्वानी मोटरमार्ग (राज्य मार्ग सं0–05) को मदकोटा से हल्द्वानी तक दो लेन पेब्ड शोल्डर सहित चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण हेतु 16.69 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal No. FP/UK/ROAD/157397/2022)**

संदर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्रांक 8बी / यू.सी.पी. / 06 / 54 / 2022 / एफ.सी. / 1323 दिनांक 03.01.2023, पत्रांक 8बी / यू.सी.पी. / 06 / 54 / 2022 / एफ.सी. / 385 दिनांक 16.06.2023, अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक 1615 / FP/UK/ROAD/157397/2022 दिनांक 04.01.2023, पत्रांक 41 / FP/UK/ ROAD/157397/2022 दिनांक 10.07.2023 एवं आपका पत्रांक 1208 / 12–1 दिनांक 18.03.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में जनपद–नैनीताल में तराई केन्द्रीय वन प्रभाग के अन्तर्गत केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधि योजना के अन्तर्गत वर्ष 1980 से पूर्व से निर्मित गदरपुर–दिनेशपुर– मदकोटा हल्द्वानी मोटरमार्ग (राज्य मार्ग सं0–05) को मदकोटा से हल्द्वानी तक दो लेन पेब्ड शोल्डर सहित चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण हेतु 16.69 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्र सं0 2077 / 12–1 दिनांक 27.02.2023 से भेजी गयी, जिसमें भारत सरकार के पत्रांक 8बी / यू.सी.पी. / 06 / 54 / 2022 / एफ.सी. / 385 दिनांक 16.06.2023 से 03 बिन्दु की आपत्तियाँ लगाई गई है। आपत्तियों का उत्तरालेख प्रस्तुत करने से पूर्व निम्न बिन्दु अवलोकनीय हैः–

1. गदरपुर–दिनेशपुर– मदकोटा हल्द्वानी मोटरमार्ग (राज्य मार्ग सं0–05) वर्ष 1980 से पूर्व निर्मित राज्य मार्ग है। वर्ष 2022 में लोक निर्माण विभाग द्वारा केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधि योजना के अन्तर्गत उक्त मार्ग को दो लेन पेब्ड शोल्डर सहित चौड़ीकरण हेतु राज्य सरकार के उपक्रम ब्रिज, रोपवे, टनल एण्ड अदर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड, (ब्रिडकुल) परियोजना इकाई–हल्द्वानी को कार्य आवंटित किया गया।
2. ब्रिडकुल द्वारा दिनांक 19.05.2022 द्वारा उक्त कार्य प्रारम्भ करने हेतु पूर्व निर्मित मार्ग के शोल्डर में मशीनों से 1.5 मी0 चौड़ाई एवं 0.30 मी0 गहराई में खुदान कार्य प्रारम्भ किया गया। संस्था द्वारा लगभग 1.8495 है0 क्षेत्र में खुदान करने पर वन कर्मियों को घटना की जानकारी मिली एवं उनके द्वारा तत्काल मौके पर कार्य रूकवाकर प्रकरण में 05 पृथक–पृथक वन अपराध भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत पंजीकृत किये गये। ये वन अपराध कार्यदायी संस्था ब्रिडकुल के अधिकारियों के विरूद्ध पंजीकृत किये गये थे। इन अधिकारियों से पूछताछ करने पर उनके द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्राविधानों का प्रस्तुत प्रकरण में लागू होने के सम्बन्ध में अनभिज्ञता व्यक्त की गयी।
3. प्रकरण में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों को मार्ग चौड़ीकरण से पूर्व वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत पूर्वानुमति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव गठित करने के निर्देश दिये गये। निर्देशों के अनुपालन में लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी द्वारा मार्ग चौड़ीकरण हेतु एक प्रस्ताव तैयार कर दिनांक 24.06.2022 को ऑनलाईन अपलोड किया गया जिसका प्रस्ताव सं0 (Online Proposal No. FP/UK/ROAD/157397/2022) है।
4. ऑनलाईन अपलोड प्रस्ताव में अपेक्षित वन भूमि 16.69 है0 प्रर्दशित की गयी। उक्त के सापेक्ष पूर्व में किया गया भूमि तुड़ान (Land Breaking) मात्र 1.8495 है0 थी।

Scanned with CamScanner

5. ऑनलाईन प्रस्ताव के भाग दो के बिन्दु सं0 11– 1 (a) में तत्कालीन प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रकरण में भारतीय वन अधिनियम, 1927 का उल्लंघन होना सूचित किया गया है। इसी प्रकार प्रभागीय वनाधिकारी की S.I.R. रिपोर्ट दिनांक 13.07.2022 के बिन्दु सं0 5.5(b) में भी पृथक से संलग्नक के रूप में प्रकरण में भारतीय वन अधिनियम, 1927 के उल्लंघन का उल्लेख किया गया है। संक्षेप में प्रभाग द्वारा प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के उल्लंघन के सम्बन्ध में कोई उल्लेख प्रस्ताव में वर्णित नहीं है। प्रस्ताव से सम्बन्धित अभिलेखों में अन्य कोई ऐसा उदहरण संधारित नहीं है जिससे प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होना सूचित होता हो।

6. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून द्वारा प्रकरण में निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक 03.01.2023 के बिन्दु सं0 8, 9 एवं 10 में प्रकरण को बिना भारत सरकार की पूर्वानुमति के वन भूमि पर गैर–वानिकी कार्य करने की श्रेणी में मानते हुए विभिन्न निर्देश निर्गत किये गये है। उक्त निर्देशों पर आख्या देने से पूर्व अवगत कराना है कि एक अपराध हेतु किसी व्यक्ति/संस्था को दो बार दन्डित नहीं किया जा सकता। प्रस्तुत प्रकरण में ब्रिडकुल अधिकारियों के विरूद्ध पूर्व से भारतीय वन अधिनियम के उल्लंघन के अपराध पंजीकृत है। अतः पुनः उनके विरूद्ध उसी प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन की कार्यवाही प्रारम्भ करना न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है। तथापि इन निर्देशों पर बिन्दुवार निम्न प्रकार से निवेदन करना है:–

बिन्दु सं0 08– उक्त बिन्दु में Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 के para 1.21 के अनुसार penal NPV सम्बन्धित कार्यवाही के निर्देश दिये गये है। उक्त पैरा के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह ex-post facto approval से सम्बन्धित प्राविधान है। उक्त प्राविधान के उप बिन्दु (II) में penal NPV रोपित करने के सम्बन्ध में जो निर्देश दिये गये है जो तभी प्रभावी होते है जबकि वन भूमि हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रस्ताव विचाराधीन हो परंतु वन भूमि का प्रत्यावर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु कर दिया गया हो। वर्तमान प्रकरण में वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के विचाराधीन होने की अवधि में वन भूमि का प्रत्यावर्तन गैर–वानिकी कार्य हेतु नहीं किया गया है।

बिन्दु सं0 09– उक्त बिन्दु के अन्तर्गत ऐसे वन कर्मियों जोकि वन भूमि के बिना भारत सरकार की पूर्व अनुमति के गैर–वानिकी प्रयोग को रोकने में असफल रहें, के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के निर्देश दिये गये है। उक्त प्राविधान भी Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 के para 1.21 के बिन्दु (II) से सम्बन्धित हैं तथा प्रकरण में अग्रिम आख्या बिन्दु सं0 08 में दी गयी आख्या के समान है।

बिन्दु सं0 10– उक्त बिन्दु में राज्य सरकार को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के सम्बन्ध में जाँच कर आख्या IRO देहरादून को प्रेषित करने के निर्देश दिये गये है। प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रभाग स्तर से सम्पूर्ण विवरण एवं विधिक स्थिति इस पत्र के माध्यम से अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

प्रस्ताव के सम्बन्ध में तकनिकी अधिकारी (वानिकी) के पत्र दिनांक 16.06.2023 द्वारा प्रेषित आपत्ति पर प्रभाग स्तर से बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार से है:–

क्र0 सं0	आपत्ति	उत्तरालेख
01	**राज्य सरकार कृपया रू0 1,36,26,932.90 की संशोधित सी0 ए0 योजना प्रस्तुत करें जिसके आधार पर campa कोष में धनराशि जमा की गई है।**	अवगत कराना है कि रू0 1,36,26,932.90 की सी0 ए0 योजना संलग्न कर प्रस्तुत की जा रही है। **(संलग्नकः 01)**
02	**शर्त संख्या 3 (ख) एवम 3 (ग) के संदर्भ मे उचित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अतः अनुरोध है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 3 (ख) एवम 3 (ग) का अवलोकन कर संबंधित दस्तावेज़ इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।**	उक्त बिन्दु के अनुपालन में निम्न प्रकार अवगत कराना है:– सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त 3 (ख)– के क्रम में अवगत कराना है कि क्षतिपूरक वृक्षरोपण करने हेतु इस प्रभाग क्रमशः पीपलपड़ाव रेन्ज के दक्षिणी गदगदिया ब्लॉक प्लॉट सं0 82 में 27.40 है0 एवं पीपलपड़ाव रेन्ज के पीपलपड़ाव ब्लॉक प्लॉट सं0 10अ में 06.00 है0 (कुल क्षेत्रफल 33.40 है0) चिन्हित किये गये है। इस वन प्रभाग की कार्ययोजना के अनुसार उक्त क्षेत्र पौपलर कार्यवृत्त के अन्तर्गत आते है, जो कि वर्तमान में खाली है। प्रकरण में कार्यालय वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी की पत्र सं0 35/12–1 दिनांक 06.07.2023 **(संलग्नकः 02)** से क्षतिपूरक वृक्षारोपण

Scanned with CamScanner

		चिन्हित करने हेतु निम्न निर्देश दिये गये *"तराई केन्द्रीय वन प्रभाग अन्तर्गत ऐसे क्षेत्र जिनमें पातन हो चुका है तथा बजट के अभाव में उन क्षेत्रों में रोपण कार्य नही हो पाया हो अथवा पौपलर क्षेत्र जिनमें पातन हुआ है परन्तु रोपण कार्य नहीं हो पाया है, ऐसे क्षेत्रों को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित किया जा सकता है। अतः तदनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें"।* तदनुसार उक्त क्षेत्र रिक्त होने की स्थिति में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित किया गया है। सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त 3 (ग)– प्रकरण से सम्बन्धित आवश्यक दस्तावेज ई–ग्रीन वॉच पोर्टल में अपलोड कर दिये गये है।
03	शर्त संख्या 9 एवम 10 के चाहे अनुसार स्वतंत्र जांच एवं कार्यवाही नहीं की गयी है। अतः अनुरोध है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 9 एवम 10 का अवलोकन कर उचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।	उक्त बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त 09 एवं 10 के अनुपालन में आख्या पूर्व में इस पत्र में विस्तार से दी गयी है।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(उमेश चन्द्र तिवारी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर

सं0: 2242 /12–1 उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)।
2. परियोजना प्रबन्धक, ब्रिज, रोपवे, टनल एण्ड अदर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड, परियोजना इकाई–हल्द्वानी, रौतेला कॉलोनी, छोटी मुखानी, पो0ऑ0– बड़ी मुखानी, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, नैनीताल–263139।

(उमेश चन्द्र तिवारी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर

DFO(TC)/G.P./LAND TRANSFFER.Doc

उत्तराखण्ड वन विभाग

Scanned with CamScanner